न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
29/2024	5.4.2024	28.3.2025

1. जन्नत पुत्री कमरूद्दीन पत्नी श्यामतअली
2. दौलत पुत्री कमरूद्दीन पत्नी आमीन
3. वीना पुत्री कमरूद्दीन पत्नी गद्दू

मुसलमान, नि0 अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
——वादीगण

बनाम

1. अब्दुल रसूल खां पुत्र राजुद्दीन, मुसलमान नि0 अलीगंज तह0 गंगापुर
2. आजाद पुत्र राजुद्दीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
3. आमीन पुत्र इमामबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज (मृतक)

3/1.आबिदअली पुत्र आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/2.जाहिद पुत्र आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/3.नसीम पुत्र आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/4.अजगर पुत्र आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/5.जाविद पुत्र आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/6.पप्पी पुत्र आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/7.सलमा पुत्री आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/8.मोटी पुत्री आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/9.महराज पुत्री आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3/10.शहनाज पुत्री आमीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी

4. आलमगीर पुत्र कमरूद्दीन,मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
5. इकबाल पुत्र कमरूद्दीन,मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
6. इनायतअली पुत्र कमरूद्दीन,मुसलमान नि0 अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
7. नूरजहां पुत्री राजुद्दीन,मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
8. फुरकान अली पुत्र कमरूद्दीन,मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर
9. मंजूर अली पुत्र कमरूद्दीन,मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर
10. मोलाबक्स पुत्र इमामबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज (मृतक)

10/1.खुदास पुत्र मोलाबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
10/2.हमीद पुत्र मोलाबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
10/3.कुदरत पुत्री मोलाबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर
10/4.हज्जी पुत्री मोलाबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
10/5.छोटी पुत्री मोलाबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
गापुर सिटी (राज0)

/6.रुकसाना पुत्री मोलाबक्स, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर
शब्बीर पुत्र राजुद्दीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
सद्दीक खान पुत्र राजुद्दीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर
सोन पुत्री राजुद्दीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी
5. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादियागण एवं प्रतिवादीगण आलमगीर, इकबाल, इनायतअली, फुलकान अली, मंजूरअली आपस में सगे भाई—बहन हैं।वादियागण के पिता कमरूद्दीन एवं राजुद्दीन, मोलाबक्स, आमीन पुत्रगण इमामबक्स जाति मुसलमान खोखर निवासी अलीगंज की सह—खातेदारी की भूमि ख0नं0 64 रकबा 0.58 है0, ख0 नं0 257 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 259 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 260 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 261 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 262 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 264 रकबा 1.18 है0 ग्राम अलीगंज में स्थित है। वादियागण के पिता के मरने के बाद विरासत दर्ज करवाते समय वादियागण के भाईयों ने गलत रूप से विरासत स्वयं के नाम दर्ज करवा ली एवं विरासत में वादियागण का नाम दर्ज नहीं करवाया जबकि वादियागण कमरूद्दीन की पुत्रियां हैं तथा कमरूद्दीन की छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ती में वादियागण कमरूद्दीन की पुत्रियां होने के आधार पर हिस्सेदार हैं। वादियागण अपनी ससुराल में रहती हैं एवं अनपढ औरतें हैं इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा की गई उक्त फर्जियत की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वादियागण को इसकी जानकारी दिनांक 23.11.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि दीगर जगह विक्रय करने के लिए गांव में बात करने से हुई है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादियागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम अलीगंज में स्थित भूमि ख0नं0 64 रकबा 0.58 है0, ख0 नं0 257 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 259 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 260 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 261 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 262 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 264 रकबा 1.18 है0 में प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6, 8, 9 के नाम दर्ज हिस्से में वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8, 9 को हिस्सा बराबर 1/8, 128 का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8, 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

नके नाम जो भूमि दर्ज है उसमें वादियागण के हिस्से को दीगर जगह रहन य नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 19 ग्राम अलीगंज प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2060 से 2063 खाता संख्या 50 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 खाता सं0 20 प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है एवं वादिया दौलत पुत्री कमरूद्दीन के बयान पी0 डब्लू0–1 कराए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8, 9 के पिता कमरूद्दीन की खातेदारी की भूंमि रही है। वादीगण कमरूद्दीन की पुत्रियां हैं। कमरूद्दीन की भूमि में वादीगण का जन्म से ही हित नीहित है परन्तु कमरूद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी विरासत में वादीगण के नाम उनके हित व हिस्से की भूमि का इन्द्राज खातेदारी नहीं किया गया है जिसके लिए उन्होने यह वाद प्रस्तुत किया है। वकील वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8, 9 के साथ 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में वकील वादीगण ने न्याय दृष्टान्त 2002 डी0एन0जे0(रेवेन्यू) पेज 1214 प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2060 से 2063 खाता संख्या 50 ग्राम अलीगंज के अनुसार भूमि ख0नं0 64 रकबा 0.58 है0, ख0 नं0 257 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 259 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 260 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 261 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 262 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 264 रकबा 1.18 है0 कमरूद्दीन, राजुद्दीन, मोलाबक्स, आमीन पिता इमामबक्स [illegible] सलमान खोकर की खातेदारी में दर्ज रही है। इस जमाबंदी [illegible] अनुसार नामा0 सं0 129 दि0 20.5.04 से भूमि कमरूद्दीन मृतक [illegible] बजाय वसीरन बेवा कमरूद्दीन, आलमगीर, इनायतअली, इकबालअली, [illegible]जूरअली, फुरकानअली पिता कमरूद्दीन हिस्सा 1/4 की खातेदारी में दर्ज हुआ है। नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 खाता संख्या 19 ग्राम अलीगंज प्रदर्श–3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में आलमगीर, इनायतअली, इकबालअली, मंजूरअली, फुरकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

ण्ड अधिकारी
ुर सिटी (राज0)

पि0 कमरूद्दीन, वसीरन बेवा कमरूद्दीन के नाम हिस्सा 1/4 की दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 19 ग्राम गंज प्रदर्श-1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में आलमगीर, इनायतअली, बालअली, मंजूरअली, फुरकान अली पि0 कमरूद्दीन, वसीरन बेवा रूद्दीन के नाम हिस्सा 1/24- 1/24 की भूमि दर्ज है। वसीरन बेवा रूद्दीन की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण ख्या 4, 5, 6, 8, 9 है। वादीगण मृतक कमरूद्दीन की पुत्रियां हैं एवं दीगण के इस कथन का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं है। नकल माबंदी प्रदर्श-2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता कमरूद्दीन 1/4 हिस्सा दर्ज रहा है एवं विरासत में यह भूमि प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8, 9 व वसीरन पत्नी स्व0 कमरूद्दीन की खातेदारी में आई है जबकि मरूद्दीन की पुत्रियां होने के कारण विरासत में वादीगण के नाम भी भूमि र्ज होनी चाहिए थी। इसमे वसीरन बेवा कमरूद्दीन का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8, 9 के साथ भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 64 रकबा 0.58 है0, ख0 नं0 257 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 259 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 260 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 261 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 262 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 264 रकबा 1.18 है0 ग्राम अलीगंज में वादीगण को वादग्रस्त भूमि मे दर्ज खातेदार आलमगीर, इनायतअली, इकबालअली, मंजूरअली, फुरकानअली पि0 कमरूद्दीन के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मे दर्ज खातेदार वसीरन पत्नी स्व. कमरूद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण इनका नाम हजफ किया जाता है। इस प्रकार वादी संख्या 1, ,2, 3 व प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8, 9 का वादग्रस्त भूमि मे प्रत्येक का 1/32 – 1/32 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में खातेदारी अंकित की जावे एवं इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट